फ़ाइल संख्या: 1470
भारत सरकार
आईएफसीआई लिमिटेड
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस
नई दिल्ली

दिनांक: 12/02/2026

श्री

विषय / Subject: आरटीआई आवेदन संख्या IFCIL/R/X/25/00006 दिनांक 19/12/2025 – मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से स्थानांतरित – आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर उत्तर।RTI Application No. IFCIL/R/X/25/00006 dated 19/12/2025 – Transferred from Ministry of Social Justice & Empowerment – Reply under Section 6(3) of RTI Act, 2005

महोदय/ महोदया,

कृपया अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना मांगने वाले आपके उपरोक्त आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें, जो मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से स्थानांतरण के तहत आईएफसीआई लिमिटेड को प्राप्त हुआ है और 12/02/2026 को नोडल अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया गया था। Please refer to your above RTI Application seeking information under the provisions of the act which is received by IFCI Limited under transfer from Ministry of Social Justice & Empowerment and forwarded by the Nodal Officer on 12/02/2026

2. इस संदर्भ में, कृपया ध्यान दें कि आईएफसीआई अनुसूचित जाति उद्यमियों को सीधे ऋण प्रदान करने वाली किसी भी योजना का संचालन या प्रबंधन नहीं करता है। हालांकि, आईएफसीआई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा शुरू की गई योजना, अनुसूचित जाति के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना (सीईजीएसएससी) के लिए नोडल एजेंसी है, जो अनुसूचित जाति द्वारा संचालित उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए बैंकों/एमएलआई को ऋण संवर्धन गारंटी प्रदान करती है। यह योजना केवल गारंटी कवर प्रदान करती है, प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है। वर्तमान में, सीईजीएसएससी की एमओएसजेई द्वारा समीक्षा की जा रही है, और कोई नई गारंटी स्वीकृत नहीं की जा रही है। योजना का संपूर्ण विवरण आईएफसीआई लिमिटेड की वेबसाइट (www.ifciltd.com) पर उपलब्ध है।In this regard, please note that IFCI does not provide or manage any scheme which directly provides loans to SC entrepreneurs. However, IFCI is the nodal agency for scheme started by Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) i.e Credit Enhancement Guarantee Scheme for the Scheduled Castes (CEGSSC) which provides credit enhancement guarantees to Banks/MLIs for loans extended to SC-run enterprises. The scheme offers only guarantee cover, not direct lending. Currently, CEGSSC is under review by MoSJE, and no new guarantee sanctions are being issued. The complete detail of the scheme is available on the website of IFCI Ltd. (www.ifciltd.com).

3. यदि आप प्रदान की गई जानकारी के संबंध में अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर नीचे दिए गए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं: श्री विजय कुमार गोयल,एफएए एवं निदेशक – विधि, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली.

(वरिंदर मलिक)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, आईएफसीआई लिमिटेड

Varinder Malik / वरिंदर मलिक
Central Public Information Officer
(केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी)
(IFCI Ltd. / आईएफसीआई.लि.)
New Delhi / (नई दिल्ली)